

(फार्म जमा करवाने की अन्तिम तिथि.....)

राजस्थान ललित कला अकादमी,  
जे. 15 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004  
छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम .....
2. जन्म दिनांक एवं स्थान .....
3. (क) पिता का नाम .....
- (ख) व्यवसाय .....
- (ग) पता.....
- (घ) पिता की वार्षिक आय .....
4. प्रार्थी का स्थायी पता .....
5. प्रार्थी का वर्तमान पता .....
- फोन न. ....ई-मेल पता .....
6. प्रार्थी कहीं नौकरी कर रहा है – नहीं ? (यदि हां तो विस्तृत विवरण दिया जावे)  
.....
7. प्रार्थी को अन्य किसी स्रोत से छात्रवृत्ति मिल रही है – नहीं मिल रही है (यदि मिल रही हो तो उसका विवरण देवें। .....)
8. प्रार्थी किस संस्था में अध्ययन कर रहा है :-  
(क) कक्षा .....
- (ख) विषय .....
9. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी से उच्च शिक्षा तक) .....
10. सह-शैक्षणिक एवं कलात्मक उपलब्धियाँ .....

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....राजस्थान का मूल निवासी हूँ आवेदन पत्र में प्रेषित सम्पूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से सही है। मैं किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/रही हूँ एवं मैं.....संस्था में नियमित विद्यार्थी हूँ।

दिनांक :

प्रार्थी का नाम एवं  
हस्ताक्षर

संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र अग्रेषित करना :

श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री .....इस संस्था/  
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की कक्षा.....विषय.....में अध्ययन कर रहा/रही  
हैं। इस सत्र में इसका कार्य संतोषजनक रहा है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

## राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर

### छात्रवृत्ति प्राप्त करने के नियम

राजस्थान ललित कला अकादमी प्रतिवर्ष दो प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। इस प्रकार छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जायेगी जो राजस्थान के बाहर किसी भी कला महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे एवं दूसरी प्रकार की छात्रवृत्ति राज्य के किसी महाविद्यालय या स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिग्री या डिप्लोमा कर रहे होंगे। इस प्रकार की छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता के रूप में उन छात्रों को दी जायेगी जो राजस्थान के मूल निवासी हो एवं राज्य के बाहर किसी ललित कला महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में कला शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को मिल सकेगी जो निम्न शर्तें पूरी करते हों :-

1. ऐसे विद्यार्थी की आयु 16 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। विशेष परिस्थिति में उच्च अध्ययन करने वाले 30 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थी पर भी समिति विचार कर सकती है।
2. छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी को अकादमी द्वारा नियत आवेदन पत्र अथवा इसके प्रारूप पर ही अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा जिसमें प्रार्थना पत्र में चाही गयी सम्पूर्ण सूचनाएं मय प्रतिलिपि के प्रेषित करना आवश्यक है। अधूरे प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
3. छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता अपने कार्य की संतोषप्रद रिपोर्ट अपने प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष के माध्यम से भिजवायेंगे। उसकी प्राप्ति होने पर ही उन्हें अकादमी से छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को कार्य के संतोषप्रद नहीं होने पर उसे छात्रवृत्ति से वंचित करना पड़ेगा।
4. छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ अपनी योग्यता, कला संबंधित योग्यताओं की प्रतिलिपियाँ, बायोडाटा, 3 नवीनतम कृतियों के रंगीन छायाचित्र अथवा पारदर्शियां एवं पिता अथवा संरक्षक की आय का ब्यौरा जो सक्षम अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा प्रमाणित हो, दिया जाना चाहिए।
5. छात्रवृत्ति देने का निर्णय एक समिति करेगी जिसका गठन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा जिसमें कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। निर्णायक का निर्णय अन्तिम समझा जावेगा तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी।